राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल–462016 (म.प्र.)

बेवसाईट– http://www.mpseiaa.nic.in
दूरभाष नं. – 0755–2466970, 2466859
फैक्स नं. – 0755–2462136

No: 1620 / SEIAA/2021
Date: 11.8.2021

प्रति,

संचालक
भौमिकी तथा खनिकर्म
29 ए, खनिज भवन,
अरेरा हिल्स, जेल रोड़, भोपाल (म.प्र.)

विषयः नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (DSR) तैयार करने के संबंध में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 15.01.2016 एवं 25.07.2018 के अनुसार प्रत्येक जिला स्तर पर नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसे अधिसूचना के अनुसार प्रत्येक 05 वर्ष में अद्यतन (Update) किया जाना है।

उक्त संबंध में प्रत्येक जिले के खनिज अधिकारी को निर्देशित किया जाये कि MP SEIAA में प्रस्तुत किये जाने वाले पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के जिलेवार खनन प्रकरणों के आवेदनों के साथ परियोजना प्रस्तावक द्वारा संलग्न किये जा रहे परियोजना प्रस्ताव को नवीन प्रस्तावित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (DSR) में अनिवार्यतः सम्मिलित करें।

साथ ही संबंधित जिले के खनिज अधिकारी द्वारा परियोजना प्रस्तावकों को यह भी प्रमाण–पत्र प्रदान करें कि वर्ष 2016–17 के उपरांत स्वीकृत खदानों को नवीन प्रस्तावित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अनिवार्यतः सम्मलित किया जायेगा। इसके उपरांत ही SEIAA द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन मान्य किए जायेंगे।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

पृ.क्र. 1621 /SEIAA/2021 दिनांक – 11.8.2021

प्रतिलिपि :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ।
2. प्रबंध संचालक, म.प्र. खनिज विकास निगम, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ।

सदस्य सचिव

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2827] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 25, 2018/श्रावण 3, 1940
No. 2827] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 25, 2018/SHRAVANA 3, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2018

का.आ. 3611(अ).—भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) प्रकाशित की गई थी, जिसके द्वारा पूर्व पर्यावरण निकासी के संबंध में निदेश जारी किए गए हैं ;

और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में उक्त अधिसूचना को का.आ. 141(अ) तारीख 15 जनवरी, 2016 द्वारा संशोधित किया है, जिसमें गौण खनिजों के लिए जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया को विहित किया गया है ;

और रांची स्थित माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने 2015 की रिट याचिका (पीआईएल) संख्या 1806, स्वप्रेरणा बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य के मामले में रिट याचिका (पीआईएल) सं. 2013 की 290, हेमंत कुमार शिल्कारवर बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य के मामले में, अन्य बातों के साथ, तारीख 11 अप्रैल, 2018 और 19 जून, 2018 के आदेश में बालू और रेत से भिन्न गौण खनिजों के लिए जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने या बालू और रेत से भिन्न गौण खनिजों की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन करने के लिए राज्य सरकार और/या जिला पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण और जिला विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति को निदेश दिया है ;

और केंद्रीय सरकार लोक हित में पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना देने की अपेक्षा से अभिमुक्ति प्रदान करती है ;

और केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना में परिशिष्ट 10 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"परिशिष्ट 10

[पैरा 7 (iii) (क) देखें]

1. बालू खनन या नदी तल खनन के लिए जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रक्रिया

जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने का मुख्य उद्देश्य (भरणीय बालू खनन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार) निम्नलिखित को सुनिश्चित करना है :--

उन्नयन या जमाव के क्षेत्रों की पहचान, जहां खनन को अनुज्ञात किया जा सकता है ; और भूक्षयण के क्षेत्रों की पहचान तथा अवसंरचना ढांचों और प्रतिष्ठापनों से निकटतता जहां खनन को प्रतिषिद्ध किया जाना चाहिए और भराई की वार्षिक दर की गणना तथा उस क्षेत्र में खनन के पश्चात् भराई के लिए समय को अनुज्ञात करना ।

रिपोर्ट के निम्नलिखित संघटक होंगे :

(1) प्रस्तावना ;

(2) जिले में खनन कार्यकलापों का विहंगावलोकन ;

(3) अवस्थिति क्षेत्र और वैधता की अवधि सहित जिले में खनन पट्टों की सूची ;

(4) पिछले तीन वर्ष में प्राप्त स्वामिस्व या राजस्व के ब्यौरे ;

(5) पिछले तीन वर्ष के दौरान बालू या रेत या गौण खनिज के उत्पादन के ब्यौरे ;

(6) जिले की नदियों में तलछट के जमा होने की प्रक्रिया ;

(7) जिले का साधारण प्रोफाइल ;

(8) जिले में भू उपयोग का पैटर्न : वन, कृषि, उद्यान कृषि, खनन आदि ;

(9) जिले की भूगर्भीय स्थिति ;

(10) मासवार वर्षा ;

(11) भूगर्भ और खनीज संपदा ।

पूर्वोक्त के अतिरिक्त रिपोर्ट में निम्नलिखित अंतर्विष्ट होंगे :

(क) जिलावार नदी या धारा और अन्य रेत के स्रोत के ब्यौरे ;

(ख) जिलावार रेत या कंकड़ या समग्र संसाधनों की उपलब्धता ;

(ग) जिलावार विद्यमान रेत के खनन पट्टों के ब्यौरे और समग्र ।

जिला पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा भूविज्ञान विभाग या सिंचाई विभाग या वन विभाग या लोक निर्माण विभाग या भू-जल बोर्ड या सुदूर संवेदन विभाग या खनन विभाग आदि की सहायता से जिले में सर्वेक्षण किया जाएगा ।

मुख्य नदियों के विवरण सहित निकासी प्रणाली

क्रम सं.	नदी का नाम	निष्कासन क्षेत्र (वर्ग किलोमीटर)	जिले में प्रतिशत निष्कासित क्षेत्र
(1)			
(2)			

महत्वपूर्ण नदियों और धाराओं की मुख्य विशेषताएं :

क्रम सं.	नदी या धारा का नाम	जिले में कुल लंबाई (किलोमीटर में)	उद्भव का स्थान	उद्भव के स्थान पर ऊंचाई
(1)				
(2)				

खनिज छूट के लिए सिफारिश किया गया नदी या धारा का भाग	खनिज छूट के लिए सिफारिश किए गए क्षेत्र की लंबाई (किलोमीटर में)	खनिज छूट के लिए सिफारिश किए गए क्षेत्र की औसत चौड़ाई (मीटर में)	खनिज छूट के लिए सिफारिश किया गया क्षेत्र (वर्ग मीटर में)	खनन योग्य खनिज क्षमता (मीट्रिक टन में) (कुल खनिज क्षमता का 60 प्रतिशत)

खनिज क्षमता

बोल्डर (मीट्रिक टन)	रेत (मीट्रिक टन)	बालू (मीट्रिक टन)	कुल खनन योग्य खनिज क्षमता (मीट्रिक टन)

वार्षिक जमाव

क्रम सं.	नदी या धारा	खनिज छूट के लिए सिफारिश किया गया नदी या धारा का भाग	खनिज छूट के लिए सिफारिश किए गए क्षेत्र की लंबाई (किलोमीटर में)	खनिज छूट के लिए सिफारिश किए गए क्षेत्र की औसत चौड़ाई (मीटर में)	खनिज छूट के लिए सिफारिश किया गया क्षेत्र (वर्ग मीटर में)	खनन योग्य खनिज क्षमता (मीट्रिक टन में) (कुल खनिज क्षमता का 60 प्रतिशत)
(1)						
(2)						
जिले के लिए योग						

उप प्रभागीय समिति, जो (i) उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट (ii) निम्नलिखित विभागों के अधिकारियों (क) सिंचाई विभाग (ख) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या समिति (ग) वन विभाग (घ) भू-विज्ञान या खनन अधिकारी से मिलकर बनेगी, खनन के लिए उपयुक्तता या खनन को प्रतिषिद्ध करने के लिए प्रत्येक स्थान का, जिसके लिए पर्यावरण निकासी का आवेदन किया गया है, भ्रमण करेगी।

खनन क्षमता की संगणना करने के लिए अंगीकृत विधि :

खनन क्षमता की संगणना स्थान की जांच और नदी या धारा के आवाह क्षेत्र के भू-विज्ञान के आधार पर की जाएगी। स्थल स्थिति और अवस्थिति, खनन योग्य खनिजों को परिभाषित किया जाएगा। किसी नदी या धारा में खनिजों के खनन का विनिश्चय भू-आकृति विज्ञान और अन्य कारकों के आधार पर किया जा सकता है, यह किसी विशिष्ट नदी या धारा के क्षेत्र का 50 से 60 प्रतिशत हो सकता है। उदाहरणार्थ कुछ पहाड़ी राज्यों में खनिज संघटक, जैसे बोल्डर, नदी से उत्पन्न रेत, बालू को एक मीटर तक संसाधन खनिज माना जाता है। अन्य संघटक जैसे क्ले और तलछट को किसी विशिष्ट नदी या धारा की खनिज क्षमता की संगणना करते समय अपशिष्ट माना जाता है।

जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिले में तैयार की जाएगी और उसके प्रारूप को पब्लिक डोमेन में कलेक्टर के कार्यालय में

उसकी एक प्रति रखकर रखा जाएगा तथा उसे 21 दिन के लिए जिले की वेबसाइट पर भी पोस्ट किया जाएगा । प्राप्त टिप्पणियों पर विचार किया जाएगा तथा यदि सही पाया जाता है तो जिला पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा छह मास के भीतर तैयार की जाने वाली अंतिम रिपोर्ट में उसे सम्मिलित किया जाएगा।

जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण निकासी, रिपोर्टों और मूल्यांकन परियोजनाओं को तैयार करने का आधार बनेगी। रिपोर्ट को प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार अद्यतन किया जाएगा।

II. बालू खनन या नदी तल खनन से भिन्न गौण खनिजों के लिए जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया

जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को जिले में प्रत्येक गौण खनिज के लिए पृथक् रूप से तैयार किया जाएगा और उसके ड्राफ्ट को पब्लिक डोमेन में कलेक्टर के कार्यालय में उसकी एक प्रति रखकर रखा जाएगा तथा उसे 21 दिन के लिए जिले की वेबसाइट पर भी पोस्ट किया जाएगा । प्राप्त टिप्पणियों पर विचार किया जाएगा तथा यदि सही पाया जाता है तो जिला पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा छह मास के भीतर तैयार की जाने वाली अंतिम रिपोर्ट में उसे सम्मिलित किया जाएगा।

बालू खनन या नदी तल खनन से भिन्न गौण खनिजों के लिए जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट नीचे वर्णित संघटकों के अनुसार होगी :--

बालू खनन या नदी तल खनन से भिन्न गौण खनिजों के लिए जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने का प्रारूप

(1) प्रस्तावना ;

(2) जिले में खनन कार्यकलापों का विहंगावलोकन ;

(3) जिले का साधारण प्रोफाइल ;

(4) जिले की भूगर्भीय स्थिति ;

(5) सिंचाई निष्कासन पैटर्न ;

(6) जिले में भू उपयोग का पैटर्न : वन, कृषि, उद्यान कृषि, खनन आदि ;

(7) जिले में सतह जल और भूमिगत जल का परिदृश्य ;

(8) जिले में वर्षा वृत्ति और जलवायु स्थिति ;

(9) निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार जिले में खनन पट्टों के ब्यौरे :--

क्रम सं.	खनिज का नाम	पट्टेदार का नाम	पट्टेदार का नाम और संपर्क संख्या	खनन पट्टा अनुदान आदेश संख्या एवं तारीख	खनन पट्टे का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	खनन पट्टे की अवधि (प्रारंभिक)		खनन पट्टे की अवधि (पहला/दूसरा ..... नवीकरण)	
						से	तक	से	तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

खनन प्रचालन के प्रारंभ होने की तारीख	प्रास्थिति (कार्यशील/गैर-कार्यशील पारेषण आदि के लिए स्थायी रूप से कार्यशील)	कैप्टिव/गैर-कैप्टिव	पर्यावरणीय निकासी अभिप्राप्त (हां/नहीं) यदि हां तो पर्यावरण निकासी अनुदत्त करने की तारीख सहित पत्र संख्या	खनन पट्टे की अवस्थिति (अक्षांश एवं देशांतर)	खनन की विधि (खुली/भूमिगत)
11	12	13	14	15	16

(10) पिछले तीन वर्ष के दौरान प्राप्त स्वामित्व या राजस्व

(11) पिछले तीन वर्ष के दौरान उत्पादन किए गए गौण खनिज के ब्यौरे

(12) जिले का खनिज मानचित्र

(13) निम्नलिखित प्ररूप के अनुसार जिले में आशय पत्र के धारकों की उसकी वैधता सहित सूची :--

क्रम सं.	खनिज का नाम	पट्टेदार का नाम	आशय पत्र धारक का पता एवं संपर्क संख्या	आशय पत्र आदेश की संख्या एवं तारीख	आबंटित किए जाने वाले खनन पट्टे का क्षेत्र	आशय पत्र की वैधता	उपयोग (कैप्टिव/ गैर-कैप्टिव)	खनन पट्टे की अवस्थिति (अक्षांश एवं देशांतर)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(14) जिले में उपलब्ध कुल खनिज भंडार ;

(15) जिले में उपलब्ध खनिज की क्वालिटी / ग्रेड ;

(16) खनिज का उपयोग ;

(17) पिछले तीन वर्षों के दौरान खनिज की मांग और पूर्ति ;

(18) जिले के मानचित्र पर चिह्नांकित खनिज पट्टे ;

(19) उस क्षेत्र के ब्यौरे, जहां खनिज पट्टों का समूह है, अर्थात् खनिज पट्टों की संख्या, अवस्थिति (अक्षांश और देशांतर) ;

(20) जिले में पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र, यदि कोई हो ;

(21) पर्यावरण (वायु, जल, ध्वनि, मृदा, वनस्पति और प्राणी, भू-उपयोग, कृषि, वन आदि) पर खनन कार्यकलाप का संघात ;

(22) पर्यावरण पर खनन संघात को कम करने के लिए उपचारात्मक उपाय ;

(23) खनन किए गए क्षेत्र को पुन: प्राप्त करना (जिले में नियमों और विनियम, प्रस्तावित पुन: प्राप्ति योजना के अनुसार) सर्वोत्तम व्यवहार को पहले ही कार्यान्वित किया गया है ;

(24) जोखिम निर्धारण एवं आपदा प्रबंधन योजना ;

(25) जिले में व्यवसायिक सुरक्षा मुद्दों के ब्यौरे (सिलिकोसिस एवं तपेदिक के रोगियों के पिछले पांच वर्ष के डाटा को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है) ;

(26) जिले में पहले ही अनुदत्त पट्टों के संबंध में पौधा रोपण और हरित पट्टी विकास ;

(27) कोई अन्य सूचना ।

जिला पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण (डीईआईएए) जिले में गौण खनिज की किस्म की प्रकृति के आधार पर संबंधित राज्य सरकार के खनिज और भू-विज्ञान विभाग के परामर्श से जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अतिरिक्त मानकों को सम्मिलित कर सकेगी ।

जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरणीय निकासी, रिपोर्टों को तैयार करने और परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए आधार होगी । रिपोर्ट को प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार अद्यतन किया जाएगा ।"।

[फा. सं. एल-11011/26/2018-आईए-II(एम)]

ज्ञानेश भारती, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् उसे निम्नानुसार संशोधित किया गया :--

1. का. आ. 1949 (अ), तारीख 13 नवंबर, 2006;
2. का. आ. 1737 (अ), तारीख 11 अक्तूबर , 2007;
3. का. आ. 3067 (अ), तारीख 1 दिसंबर, 2009;
4. का. आ. 695 (अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011;
5. का. आ. 156 (अ), तारीख 25 जनवरी, 2012;
6. का. आ. 2896 (अ), तारीख 13 दिसंबर, 2012;
7. का. आ. 674 (अ), तारीख 13 मार्च, 2013;
8. का. आ. 2204 (अ), तारीख 19 जुलाई 2013;
9. का. आ. 2555 (अ), तारीख 21 अगस्त, 2013 ;
10. का. आ. 2559 (अ), तारीख 22 अगस्त, 2013;
11. का. आ. 2731 (अ), तारीख 9 सितंबर, 2013;
12. का. आ. 562 (अ), तारीख 26 फरवरी, 2014;
13. का. आ. 637 (अ), तारीख 28 फरवरी, 2014;
14. का. आ. 1599 (अ), तारीख 25 जून, 2014;
15. का. आ. 2601 (अ), तारीख 7 अक्तूबर, 2014;
16. का. आ. 2600 (अ), तारीख 9 अक्टूबर, 2014;
17. का. आ. 3252 (अ), तारीख 22 दिसंबर, 2014;
18. का. आ. 382 (अ), तारीख 3 फरवरी, 2015;
19. का. आ. 811 (अ), तारीख 23 मार्च, 2015;
20. का. आ. 996 (अ), तारीख 10 अप्रैल, 2015;
21. का. आ. 1142 (अ), तारीख 17 अप्रैल, 2015;
22. का. आ. 1141 (अ), तारीख 2 9 अप्रैल, 2015;
23. का. आ. 1834 (अ), तारीख 6 जुलाई, 2015;
24. का. आ. 2571 (अ), तारीख 31 अगस्त, 2015;
25. का. आ. 2572 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2015;
26. का. आ. 141 (अ), तारीख 15 जनवरी, 2016;
27. का. आ. 648 (अ), तारीख 3 मार्च, 2016;
28. का. आ. 2269 (अ) तारीख 1 जुलाई, 2016;
29. का. आ. 2944 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2016;
30. का. आ. 3518 (अ) तारीख 23 नवंबर 2016;
31. का. आ. 3999 दिसंबर (अ) तारीख 9 दिसंबर, 2016; और
32. का. आ. 4241 (अ) तारीख 30 दिसंबर, 2016

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th July, 2018

S.O. 3611(E).—Whereas by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest issued *vide* number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) (hereinafter referred to as the said notification) directions have been given regarding the prior environmental clearance;

And whereas, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change has amended the said Notification *vide* S.O. 141 (E) dated 15th January, 2016 wherein the procedure for preparation of District Survey Report for minor mineral has been prescribed;

And whereas, the Hon'ble High Court of Jharkhand at Ranchi in its orders dated the 11th April, 2018 and 19th June, 2018 in W.P. (PIL) No. 1806 of 2015, in the matter of Court on its Own Motion Versus the State of Jharkhand & Others with W.P. (PIL) No. 290 of 2013, in the matter of Hemant Kumar Shilkarwar Versus the State of Jharkhand & Others, has *inter-alia* directed the preparation of District Survey Report for minor minerals other than Sand and Bajri or delegation of the powers for preparation of format of District Survey Report of minor minerals other than sand and bajri to the State Government and/or District Environment Impact Assessment Authority and District Expert Appraisal Committee;

And whereas, the Central Government hereby in the public interest dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment Protection Rules, 1986,

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments to the notification of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, namely: –

In the said notification, for Appendix X, the following shall be substituted, namely: -

"APPENDIX - X

[See paragraph 7 (iii) (a)]

I. PROCEDURE FOR PREPARATION OF DISTRICT SURVEY REPORT FOR SAND MINING OR RIVER BED MINING

The main objective of the preparation of District Survey Report (as per the Sustainable Sand Mining Guideline) is to ensure the following: -

Identification of areas of aggradations or deposition where mining can be allowed; and identification of areas of erosion and proximity to infrastructural structures and installations where mining should be prohibited and calculation of annual rate of replenishment and allowing time for replenishment after mining in that area.

The report shall have the following structure:

(1) Introduction;

(2) overview of Mining Activity in the District;

(3) the List of Mining Leases in the District with location, area and period of validity;

(4) details of Royalty or Revenue received in last three years;

(5) detail of Production of Sand or Bajri or minor mineral in last three years;

(6) process of Deposition of Sediments in the rivers of the District;

(7) general Profile of the District;

(8) land Utilization Pattern in the district: Forest, Agriculture, Horticulture, Mining etc.;

(9) physiography of the District;

(10) rainfall: month-wise;

(11) geology and Mineral Wealth.

In addition to the above, the report shall contain the following:

(a) District wise detail of river or stream and other sand source;

(b) District wise availability of sand or gravel or aggregate resources;

(c) District wise detail of existing mining leases of sand and aggregates.

A survey shall be carried out by the District Environment Impact Assessment Authority with the assistance of Geology Department or Irrigation Department or Forest Department or Public Works Department or Ground Water Boards or Remote Sensing Department or Mining Department etc. in the district.

Drainage system with description of main rivers

S. No.	Name of the River	Area drained (Sq. Km)	% Area drained in the District
(1)			
(2)			

Salient Features of Important Rivers and Streams:

S. No.	Name of the River or Stream	Total Length in the District (in Km)	Place of origin	Altitude at Origin
(1)				
(2)				

Portion of the River or Stream Recommended for Mineral Concession	Length of area recommended for mineral concession (in kilometer)	Average width of area recommended for mineral concession (in meters)	Area recommended for mineral concession (in square meter)	Mineable mineral potential (in metric tonne) (60% of total mineral potential)

Mineral Potential

Boulder (MT)	Bajari (MT)	Sand (MT)	Total Mineable Mineral Potential (MT)

Annual Deposition

S. No.	River or Stream	Portion of the river or stream recommended for mineral concession	Length of area recommended for mineral concession (in kilometer)	Average width of area recommended for mineral concession (in meters)	Area recommended for mineral concession (in square meter)	Mineable mineral potential (in metric tonne) (60% of total mineral potential)
(1)						
(2)						
Total for the District						

A Sub-Divisional Committee comprising of (i) Sub-Divisional Magistrate, (ii) Officers from (a) Irrigation department, (b) State Pollution Control Board or Committee, (c) Forest department, (d) Geology or mining officer shall visit each site for which environmental clearance has been applied for and make recommendation on suitability of site for mining or prohibition thereof.

Methodology adopted for calculation of Mineral Potential:

The mineral potential is calculated based on field investigation and geology of the catchment area of the river or streams. As per the site conditions and location, depth of minable mineral is defined. The area for removal of the mineral in a river or stream can be decided depending on geo-morphology and other factors, it can be 50 % to 60 % of the area of a particular river or stream. For Example, in some hill States mineral constituents like boulders, river born Bajri, sand up to a depth of one meter are considered as resource mineral. Other constituents like clay and silt are excluded as waste while calculating the mineral potential of particular river or stream.

The District Survey Report shall be prepared in the district and its draft shall be placed in the public domain by keeping its copy in Collectorate and posting it on the district's website for twenty-one days. The comments received shall be considered and if found correct, shall be incorporated in the final Report to be finalised within six months by the District Environment Impact Assessment Authority.

The District Survey Report shall form the basis for application for environmental clearance, preparation of reports and appraisal of projects. The Report shall be updated once every five years.

II. PROCEDURE FOR PREPARATION OF DISTRICT SURVEY REPORT OF MINOR MINERALS OTHER THAN SAND MINING OR RIVER BED MINING

The District Survey Report shall be prepared for each minor mineral in the district separately and its draft shall be placed in the public domain by keeping its copy in Collectorate and posting it on district's website for twenty-one days. The comments received shall be considered and if found fit, shall be incorporated in the final Report to be finalised within six months by the DEIAA.

The District Survey Report for minor minerals other than sand mining or River bed mining shall be as per structure mentioned below: -

FORMAT FOR PREPARATION OF DISTRICT SURVEY REPORT FOR MINOR MINERALS OTHER THAN SAND MINING OR RIVER BED MINING

(1) Introduction;

(2) overview of Mining Activity in the District;

(3) general Profile of the District;

(4) geology of the District;

(5) drainage of Irrigation pattern;

(6) land Utilisation Pattern in the District: Forest, Agricultural, Horticultural, Mining etc.;

(7) surface Water and Ground Water scenario of the district;

(8) rainfall of the district and climatic condition;

(9) details of the mining leases in the District as per the following format: -

Sl. No.	Name of the Mineral	Name of the Lessee	Address & Contact No. of Lessee	Mining lease Grant Order No. & date	Area of Mining lease (ha)	Period of Mining lease (Initial)		Period of Mining lease ($1^{st}/2^{nd}$...renewal)	
						From	To	Form	To
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Date of commencement of Mining Operation	Status (Working/Non-Working/Temp. Working for dispatch etc.)	Captive/ Non-Captive	Obtained Environmental Clearance (Yes/No), If Yes Letter No with date of grant of EC.	Location of the Mining lease (Latitude & Longitude)	Method of Mining (Opencast/Underground)
11	12	13	14	15	16

(10) details of Royalty or Revenue received in last three years;

(11) details of Production of Minor Mineral in last three years;

(12) mineral Map of the District;

(13) list of Letter of Intent (LOI) Holders in the District along with its validity as per the following format :-

(14) total Mineral Reserve available in the District;

Sl. No.	Name of the Mineral	Name of the Lessee	Address & Contact No. of Letter of Intent Holder	Letter of Intent Grant Order No. & date	Area of Mining lease to be allotted	Validity of LoI	Use (Captive/ Non-Captive)	Location of the Mining lease (Latitude & Longitude)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(15) quality /Grade of Mineral available in the District;

(16) use of Mineral;

(17) demand and Supply of the Mineral in the last three years;

(18) mining leases marked on the map of the district;

(19) details of the area of where there is a cluster of mining leases viz. number of mining leases, location (latitude and longitude);

(20) details of Eco-Sensitive Area, if any, in the District;

(21) impact on the Environment (Air, Water, Noise, Soil, Flora & Fauna, land use, agriculture, forest etc.) due to mining activity;

(22) remedial Measures to mitigate the impact of mining on the Environment;

(23) reclamation of Mined out area (best practice already implemented in the district, requirement as per rules and regulation, proposed reclamation plan);

(24) risk Assessment & Disaster Management Plan;

(25) details of the Occupational Health issues in the District. (Last five-year data of number of patients of Silicosis & Tuberculosis is also needs to be submitted);

(26) plantation and Green Belt development in respect of leases already granted in the District;

(27) any other information.

The District Environment Impact Assessment Authority (DEIAA) based on the nature and type of minor mineral in the District may include the additional parameters in the District Survey Report in consultation with the Department of Mines and Geology of the concerned State Government.

The District Survey Report shall form the basis for application for environmental clearance, preparation of reports and appraisal of projects. The Report shall be updated once every five years";

[F.No. L-11011/26/2018-IA-II (M)]

GYANESH BHARTI, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and subsequently amended by :-

1. S.O. 1949 (E), dated the 13th November, 2006;
2. S.O. 1737 (E), dated the 11th October, 2007;
3. S.O. 3067 (E), dated the 1st December, 2009;
4. S.O. 695 (E), dated the 4th April, 2011;
5. S.O. 156 (E), dated the 25th January, 2012;
6. S.O. 2896 (E), dated the 13th December, 2012;
7. S.O. 674 (E), dated the 13th March, 2013;
8. S.O. 2204 (E), dated the 19th July 2013;
9. S.O. 2555 (E), dated the 21st August, 2013;
10. S.O. 2559 (E), dated the 22nd August, 2013;
11. S.O. 2731 (E), dated the 9th September, 2013;
12. S.O. 562 (E), dated the 26th February, 2014;
13. S.O. 637 (E), dated the 28th February, 2014;
14. S.O. 1599 (E), dated the 25th June, 2014;
15. S.O. 2601 (E), dated the 7th October, 2014;
16. S.O. 2600 (E), dated the 9th October, 2014;
17. S.O. 3252 (E), dated the 22nd December, 2014;
18. S.O. 382 (E), dated the 3rd February, 2015;
19. S.O. 811 (E), dated the 23rd March, 2015;
20. S.O. 996 (E), dated the 10th April, 2015;

21. S.O. 1142 (E), dated the 17th April, 2015;
22. S.O. 1141 (E), dated the 29th April, 2015;
23. S.O. 1834 (E), dated the 6th July, 2015;
24. S.O. 2571 (E), dated the 31st August, 2015;
25. S.O. 2572 (E), dated the 14th September, 2015;
26. S.O.141 (E), dated the 15th January, 2016;
27. S.O.648 (E), dated the 3rd March, 2016;
28. S.O. 2269 (E) dated the 1st July, 2016;
29. S.O. 2944 (E) dated the 14th September, 2016;
30. S.O. 3518 (E) dated the 23rd November 2016;
31. S.O. 3999 (E) dated the 9th December, 2016; and
32. S.O. 4241 (E) dated the 30th December, 2016.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2018.07.26 18:53:39 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.